उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1999)

THE UTTAR PRADESH BHAGIRATHI RIVER VALLEY AUTHORITY ACT, 1999

(U.P. Act No. 14 of 1999)

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1999 ई0)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की गयी तथा उसी दिन उ0प्र0 गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

भागीरथी नदी घाटी के एकीकृत और सतत् विकास के पर्यवेक्षण और समन्वयन के लिए प्राधिकरण की स्थापना की, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में, ––

(क) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण से है;

(ख) 'भागीरथी नदी घाटी' या 'घाटी' का तात्पर्य देवप्रयाग तक भागीरथी भिलंगना नदी और उनकी सहायक नदियों की द्रोणी से है, और उसमें उसके पार्श्वस्थ ऐसे अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(ग) 'द्रोणी' का तात्पर्य घाटी के सम्पूर्ण जलागम क्षेत्र से है ;

(घ) 'विकास अभिकरण' का तात्पर्य घाटी के विकास कार्य में लगे हुए किसी सरकारी विभाग, या संस्था या अन्य अभिकरण से है ;

(ङ) 'सदस्य' का तात्पर्य विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य से है और इसमें उसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(च) 'सेक्टर' का तात्पर्य विकास की किसी मद से है और इसमें कृषि, सड़क, सेतु, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, संचार, आवास, पर्यटन और स्वास्थ्य और उससे संबंधित विषय भी है।

प्राधिकरण की स्थापना और गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जिसे भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण कहा जायगा जो एक निगमित निकाय होगा।

(2) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :––

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
(ख) सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(ग) सचिव, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(घ) सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के प्रभारी ;	सदस्य
(ङ) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग	सदस्य
(ञ) प्रमुख सचिव या यथास्थिति सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
(ट) प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग	सदस्य
(ठ) मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(ड) आयुक्त कुमायूं मण्डल	सदस्य
(ढ) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	सदस्य
(ण) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तरांचल विकास विभाग	सदस्य
	सचिव

(3) प्राधिकरण अपने साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो उसके द्वारा, अवधारित किये जाय, ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिनकी सहायता या सलाह उसे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुपालन के लिए वांछित हो, सहयुक्त कर सकता है और इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को प्राधिकरण के उस विचार–विमर्श में जो उन प्रयोजनों से सुसंगत हों, जिनके लिए उन्हें इस प्रकार सहयुक्त किया गया है, भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है, या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जिसका मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष और सदस्य–सचिव की शक्तियां व कर्तव्य

4–(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, शक्तियों द्वारा सौंपे जायें।

(2) सदस्य–सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। उसकी सहायता अपर मुख्य कार्यापालक अधिकारी द्वारा की जा सकेगी जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी विहित की जायें।

प्राधिकरण का कर्मचारी वर्ग

5–(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायं प्राधिकरण ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

तकनीकी परामर्शदाता

6–(1) अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए प्राधिकरण केन्द्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से परामर्श करके निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से तकनीकी परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता हैः–

(क) पर्यावरण प्रबन्ध;

(ख) पर्यावरण भू–विज्ञान

(ग) पारिस्थितिकी नियोजन;

(घ) एकीकृत ऊर्जा नियोजन;

(ड.) समाज विज्ञान;

(च) वन पारिस्थितिकी विज्ञान ;

(2) तकनीकी परामर्शदाताओं की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य और उनकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जायं।

बैठके

7–(1) जब तक कि अध्यक्ष सदस्यों को कार्यसूची परिचालित करके कामकाज करने के निदेश न दे, प्राधिकरण के कामकाज बैठक में किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीन मास में एक बार ऐसे दिनांक को, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर होगी जैसा अध्यक्ष निदेश दे।

(3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य जिसके सम्बन्ध में उपस्थित सदस्य सहमत हों, अध्यक्षता करेगा।

(4) जब तक कि धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) तक उल्लिखित सदस्यों में से एक और उक्त उपधारा के खण्ड (ड.) से (छ) तक में उल्लिखित सदस्यों में से एक सदस्य सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों तब तक बैठक में कोई कार्य नहीं किया जायेगा :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की अपेक्षा न होगी।

(5) किसी बैठक में उठाए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, और मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा।

प्राधिकरण के कृत्य

8–प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे :––

(क) द्रोणी के एकीकृत और अविरत विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के उपार्जन के लिए विकास योजना की विनिर्मिति और उसके निष्पादन की देखभाल करना। विकास योजना में जल–संसाधन, भूमि उपयोग और कृषि, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, संचार, आवास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और उनसे सम्बन्धित विषय भी सम्मिलित है;

(ख) द्रोणी में पारिस्थितिकीय सन्तुलन के अनुरक्षण के लिए प्रभावी और समयानुकूल कार्यवाही को, जिसमें क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्र का पुनर्रूद्धार भी सम्मिलित है, सुनिश्चित करना।

महायोजना का तैयार किया जाना

9–(1) प्राधिकरण, यथाशीघ्र घाटी के एकीकृत विकास के लिए महायोजना तैयार करेगा या तैयार करवायेगा।

(2) महायोजना में––

(क) द्रोणी की वहन क्षमता परिनिश्चित की जायेगी;

(ख) विभिन्न सेक्टर परिनिश्चित होंगे जिनमें विकास योजनाओं को विभाजित किया जा सके और वह रीति इंगित होगी जिसमें प्रत्येक सेक्टर का विकास किया जाना प्रस्तावित है और वे प्रक्रम इंगित होंगे जिनमें ऐसी विकास योजनाओं को चलाया जायेगा;

(ग) द्रोणी के विकास के लिए योजनाओं के साथ वैकल्पिक योजनाओं की रूप रेखा होगी;

(घ) विभिन्न उपयोग और प्रयोजनों के लिए भूमि सीमांकित होगी, और

(ङ) उस ढांचे की बुनियादी प्रतिकृति होगी जिसके अन्तर्गत विकास योजनाएं तैयार की जा सकेगी।

(3) महायोजना में ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था होगी जिन्हें घाटी के सतत् विकास के लिए आवश्यक समझा जाय।

राज्य सेक्टर योजना

10–(1) धारा 9 के अधीन महायोजना तैयार हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विकास अभिकरण महायोजना के अनुसार सेक्टर के लिए योजना की तैयारी का कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई सेक्टर के लिए योजना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुबन्धों और मापदंडों के अनुरूप होगी।

प्राधिकरण की शक्तियां

11–(1) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या उसके आनुषंगिक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति में निम्नलिखित शक्तियां भी सम्मिलित होंगीः––

(क) किसी विकास योजना के बारे में उसका निष्पादन करने वाले विकास अभिकरण से सूचना मांगना ;

(ख) घाटी में किसी योजना को अनुमोदित या अननुमोदित करना जिसकी रूपरेखा महायोजना में दी गई हो और जो विकास अभिकरण द्वारा तैयार की गई हो;

(ग) किसी सेक्टर के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुरूप कार्य करने के लिए किसी विकास अभिकरण को निदेश देना;

(घ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य अभिकरण की सहायता लेना।

(ड.) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों की उप–समितियां बनाना ;

(च) प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने किन्हीं कृत्यों को प्रत्यायोजित करना।

(3) प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना घाटी में किसी विकास योजना पर, जिसकी रूप रेखा महायोजना में दी गई हो, प्रारम्भिक या अन्यथा, कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण की निधि

12–(1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी जिसका वह अनुरक्षण करेगा और उसमें प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों को, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धन सम्मिलित है, जमा किया जायेगा और प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान उससे किए जायेंगे।

(2) प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा इतना वित्त पोषित किया जायेगा जितना इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

(3) निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उपगत व्ययों को वहन करने के लिए किया जायेगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

निधि का अनुरक्षण

13–निधि की धनराशि सरकारी कोषागार में लोक लेखा खाते में जमा की जायेगी जिसका संचालन सदस्य–सचिव द्वारा या तो अकेले या किसी ऐसे अन्य सदस्य या अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा, जिसे प्राधिकरण प्राधिकृत करे :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह प्राधिकरण को चालू भुगतानों के लिए आवश्यक नकद रोकड़ रखने से निवारित करती है।

आय–व्ययक

14–प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आय व्यय तैयार करेगा जिसमें अनुमानित आय और व्यय दिखाया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर के पूर्व राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

15–प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपने कार्य कलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति ऐसे प्ररूप में और ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

16–(1) प्राधिकरण का सदस्य–सचिव प्राधिकरण का समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगा और उसे प्राधिकरण के समक्ष रखेगा जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायगी।

(2) प्राधिकरण के लेखा की लेखा–परीक्षा प्रतिवर्ष, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जायगी और ऐसी लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा देय होगा।

(3) ऐसी लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो उक्त निदेशक को किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में है और विशेष रूप में ऐसे वहियां, लेखा, वाउचर और अन्य दस्तावेजों और कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिवार होगा ;

(4) प्राधिकरण का परीक्षित लेखा प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण के समक्ष ऐसे दिनांक को या ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा प्राधिकरण निदेश दे, अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

17–प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत हो; सभी युक्तियुक्त समय पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और ऐसे कार्य कर सकता है जो अपने किसी कार्य को विधिपूर्वक करने, या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने के लिए प्राथमिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण खोज और पूर्वेक्षण करने प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हों।

निदेश देने की शक्ति

18–राज्य सरकार और केन्द्र सरकार समय–समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित के लिए आवश्यक या समीचीन हो और ऐसे निदेशों का पालन करना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।

विनियम बनाने की शक्ति

19–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण ऐसे विनियम में निम्नलिखित भी व्यवस्था कर सकता हैः––

(क) प्राधिकरण या उसकी समितियों के कार्य के संव्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्य और कर्त्तव्य;

(ग) प्राधिकरण की समितियों का गठन; शक्ति, कर्तव्य और कृत्य ;

(घ) प्राविधिक विशेषज्ञों की शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियम में उपलब्ध किया जाना हो; या

नियम बनाने की शक्ति

20–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

21–प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या अधिकारी के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के संबंध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या

निरसन और अपवाद

22–(1) उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सुझाव पर शासनादेश संख्या 789/28–3–6(9)–90, दिनांक 23 मार्च, 1990 द्वारा भागीरथी और भिलंगना नदी घाटी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण और एकीकृत और सतत् विकास के समन्वय के लिए भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की थी। केन्द्र सरकार द्वारा भी तत्समान धनराशि का अंशदान किया जाना था किन्तु केन्द्र सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की कि प्राधिकरण को अधिनियम द्वारा गठित व विनियमित किया जाय। इस आशय का एक प्रस्ताव मंत्रि–परिषद के समक्ष रखा गया था और मंत्रि–परिषद् ने उक्त प्रस्ताव के वित्तीय, प्रशासनिक और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी। उक्त प्रयोजन के लिए गठित समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि उक्त प्राधिकरण को विधिक प्रस्थिति देने के लिए कानून बनाया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 1998 को उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1998) प्रख्यापित किया गया।

उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।